

1.	योजना का नाम	विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना																
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र/छात्राएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो ऐसे परिवारों के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व उत्तर मैट्रिक कक्षाओं में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को फीस पुनर्भरण की सुविधा दी जा रही है।																
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1981																
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन विद्यार्थीगण																
5.	पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय/ महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। छात्र/छात्रा के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्र/छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति/भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था/ ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो। छात्र/छात्रा गत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो। आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा जारी 40% या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 																
6.	देय सुविधाएं	<p>कक्षा 1 से 4 तक 40 रुपये प्रतिमाह एवं कक्षा 5 से 8 तक 50 रुपये प्रतिमाह</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>दिवसीय छात्र</th> <th>आवासीय छात्र</th> <th>नेत्रहीन छात्र/छात्राओं को वाचक भत्ता</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कक्षा 9 से प्रथम वर्ष (स्नातक स्तर)</td> <td>150 रु. प्रतिमाह</td> <td>230 रु. प्रतिमाह</td> <td>100 रु. प्रतिमाह</td> </tr> <tr> <td>द्वितीय से तृतीय वर्ष</td> <td>230 रु. प्रतिमाह</td> <td>360 रु. प्रतिमाह</td> <td>150 रु. प्रतिमाह</td> </tr> <tr> <td>स्नातकोत्तर, बी.ई., बी.टैक. एमबीबीएस, एम.एड. तथा अन्य व्यावसायिक कोर्स</td> <td>330 रु. प्रतिमाह</td> <td>750 रु. प्रतिमाह</td> <td>200 रु. प्रतिमाह</td> </tr> </tbody> </table> <p>सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत नियमानुसार फीस पुनर्भरण की जाती है।</p>		दिवसीय छात्र	आवासीय छात्र	नेत्रहीन छात्र/छात्राओं को वाचक भत्ता	कक्षा 9 से प्रथम वर्ष (स्नातक स्तर)	150 रु. प्रतिमाह	230 रु. प्रतिमाह	100 रु. प्रतिमाह	द्वितीय से तृतीय वर्ष	230 रु. प्रतिमाह	360 रु. प्रतिमाह	150 रु. प्रतिमाह	स्नातकोत्तर, बी.ई., बी.टैक. एमबीबीएस, एम.एड. तथा अन्य व्यावसायिक कोर्स	330 रु. प्रतिमाह	750 रु. प्रतिमाह	200 रु. प्रतिमाह
	दिवसीय छात्र	आवासीय छात्र	नेत्रहीन छात्र/छात्राओं को वाचक भत्ता															
कक्षा 9 से प्रथम वर्ष (स्नातक स्तर)	150 रु. प्रतिमाह	230 रु. प्रतिमाह	100 रु. प्रतिमाह															
द्वितीय से तृतीय वर्ष	230 रु. प्रतिमाह	360 रु. प्रतिमाह	150 रु. प्रतिमाह															
स्नातकोत्तर, बी.ई., बी.टैक. एमबीबीएस, एम.एड. तथा अन्य व्यावसायिक कोर्स	330 रु. प्रतिमाह	750 रु. प्रतिमाह	200 रु. प्रतिमाह															
7.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।																
8.	आवेदन कहां किया जावे	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।																
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	विकलांगता प्रमाण पत्र (अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा) स्वनियोजित पिता/संरक्षक की आय हेतु शपथ पत्र अथवा नियोजित पिता/संरक्षक का नियोजक से प्राप्त आय प्रमाण पत्र। पिछले वर्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रतियां।																
10.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।																